सोहनलाल — सरकार फ़ौ.नं. 127/03

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5-12-17	बार-बार आवाज दिलाई गई। अपीलांट एवं अपीलांट के वकील कोई हाजिर नहीं आया अतः अदम हाजरी एवं अदम पैरवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official